

तारीख  
हुक्म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15.1.19

वकील वार्दिया अनु.  
वकील जति अनु.)  
वार्दिया एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता  
को न्यायालय में हजरत आने के लिए  
आज्ञा - 2 आवाजे दिलवाई गई परंतु  
ज तो वार्दिया तथा न ही उनके द्वारा नियुक्त  
अधिवक्ता ही न्यायालय में हजरत आये।  
कॉर्ट का कार कांय 5:00 PM पर पुनः आवाजे  
दिलवाई गई इसके बावजूद वार्दिया एवं  
इन्के अधिवक्ता न्यायालय में हजरत  
नहीं आने के बाद वार्दिया अदम  
हजरी एवं अदम पैरवी में खारिज  
किया जाता है। डिफेंस परचा मुतीब  
हो। प्रभावली फैसल में शुमार होकर  
दाखील दफ्तर की जावे।

सहायक क्लर्क  
पाली (पज.)